

- (घ) ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण और उनकी सेवाओं का उपयोग करना;
- (छ) बच्चों की गतिविधियों को प्रोत्साहन देना ।

5. सामुदायिक विकास के क्षेत्र में :-

- (क) रोजगार तथा उत्पादों में बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रामीण संस्थानों के समन्वय के लिए योजना बनाना ;
- (ख) आपसी सहयोग के सिद्धान्त पर ग्राम समुदाय में स्वयं सहायता तथा आत्म-निर्भरता में प्रशिक्षण ;
- (ग) समुदाय के लाभ के लिए अधिशेष ऊर्जा, संसाधनों और समय का उपयोग;
- (घ) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सहायता प्रदान करना ।

6. कृषि तथा सिंचाई के क्षेत्र में :-

- (क) द्वीपों में कृषि विकास के लिए योजना बनाना;
- (ख) भूमि तथा जल संसाधनों का उपयोग और आधुनिकतम अनुसंधानों के अनुसार परिष्कृत कृषि पद्धतियों का प्रचार;
- (ग) द्वीपों में सिंचाई कार्यों का निर्माण और अनुरक्षण;
- (घ) द्वीपों में कृषि भूमि का सुधार और संरक्षण;
- (ङ) बीज प्रवर्धक कार्यों का अनुरक्षण, पंजीकृत बीज उत्पादकों को सहायता तथा द्वीपों में बीजों का वितरण;
- (च) फल तथा सब्जी उत्पादों को बढ़ाना ;
- (छ) खाद संसाधनों का संरक्षण, मिश्रित खाद, जैविक खाद तैयार करना और उसके आसानी से उपलब्धता का प्रबन्ध करना;
- (ज) परिष्कृत कृषि सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहन और उन्हें आसानी से उपलब्ध कराने का प्रबन्ध करना;
- (झ) फसलों, फलों, पेड़ों तथा पौधों को रोगों से बचाना;
- (ञ) सिंचाई तथा कृषि विकास के लिए ऋण तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना;